

२५०१-२३ ०२

२५  $\frac{०१}{२३}$

पत्रवली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने से वाकजूद बस प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिकार अनुपस्थित रहे। प्रार्थी एवं अधिकार अपने जरा प्रसूत प्रार्थना पत्र के आगे जाने के प्रति गम्भीर नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी विवेचना अदम्य हाजरी एवं अदम्य पेंची में खाजि किया जा रहा है। निर्णय आज दिनांक २५/०५/२०२३ को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रवली पेश होकर बाद लेख भेजा है।

उप जिला कलक्टर  
लवाण

